न्यायालय,अनुमण्डल दण्डाधिकारी,सिमडेगा।

(विधि–शाखा)

सिरिल लुसियुस कुल्लू
(पक्षकार लियोपोल्ड कुल्लू)
बनाम
कृष्णा चंद्र प्रसाद उर्फ
लखन साहू

वाद संख्या– एस0 ए0 आर0 31/2001

दिनांक– 18/9/09

प्रस्तुत अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक सिरिल लुसियुस कुल्लू पक्षकार लियोपोल्ड कुल्लू पिता– स्व0 सिरिल लुसियुस कुल्लू साकिन–ठाकुरटोली थाना– सिमडेगा जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदिका ने लिखा है कि विपक्षी कृष्ण चंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू पिता– गन्दुरा साहू साकिन–ठाकुरटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिससे अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है –

मौजा	खाता नं0–	प्लॉट नं0	रकबा–
ठाकुरटोली	257	5010	0.06 एकड़

यह वाद मौजा ठाकुरटोली के खाता नं0– 257 प्लॉट नं0–5010 रकबा–0.06 एकड़ से संबंधित है।

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। निर्धारित तिथि को न्यायालय में आवेदक सिरिल लुसियुस कुल्लू पक्षकार लियोपोल्ड कुल्लू पिता–स्व0 सिरिल लुसियुस कुल्लू तथा विपक्षी श्री कृष्ण चंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू पिता–गन्दुरा साहू अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं। पक्षकार का आवेदन–पत्र स्वीकृत है। आवेदक की मृत्यु हो चुकी है। उनके पुत्र श्री लियोपोल्ड कुल्लू इस वाद में पक्षकार हैं। पक्षकार अपने स्व0 पिता का इकलौता पुत्र है और उनकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी भी है। अतः उन्हें विपक्षी को उक्त भूमि को सौंपकर उसकी कीमत का मुआवजा प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है चूँकि आवेदक की सहमति से प्रश्नगत् भूमि विपक्षी को दिया गया था।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बतलाया कि वाद में प्रश्नगत् भूमि रिविजनल सर्वे खतियान में सुलेमान खड़िया वल्द झारी खड़िया के नाम से दर्ज है।खतियानी रैयत के पोता सिरील लुसियुस कुल्लू से कई वर्ष पूर्व विपक्षी कृष्ण चंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू को मौखिक रूप से सादा कागजात पर प्रश्नगत् भूमि बिकी कर दिया था। उसी समय से कृष्णचंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू उक्त भूखण्ड पर मकान, चहारदीवारी बनाकर रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि चूँकि आवेदक के पिता ने विपक्षी को उक्त भूमि रहने–बसने के लिये आपसी सहमति से मौखिक रूप से कुछ राशि प्राप्त कर बिकी कर दिया इसलिये वर्त्तमान में विपक्षी को बेदखल करना न्यायासंगत नहीं होगा। आवेदक का अनुरोध है कि वाद में प्रश्नगत् जमीन को वापस दिलवाने के बदले उसे भूमि की कीमत का उचित मुआवजा दिलवाया जाय। वे अपनी इच्छा और बिना किसी दबाव में विपक्षी से मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते हैं।

Sample output to test PDF Combine only

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि श्री कृष्णचंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू ने इस वाद के आवेदक स्व0 सिरील लुसियुस कुल्लू (पक्षकार लियोपोल्ड कुल्लू) के स्व0 पिता से मौखिक रूप से प्रश्नगत् भूमि को सादा कागजात से कय कर भूमि के मालिक की सहमति से धर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, इसलिये उन्हें उक्त भूमि से बेदखल करना उचित नहीं होगा अपितु विपक्षी श्री कृष्ण चंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू आवेदक को प्रश्नगत् भूमि के बदले उचित मुआवजा भुगतान करने को तैयार हैं। इस जमीन के अलावे उनके पास कोई दूसरी जमीन नहीं है। प्रश्नगत् जमीन के बदले विपक्षी, आवेदक को उचित मुआवजा देने को तैयार है। अतः वाद में प्रश्नगत् जमीन पर उनका हक दखल सम्पुष्ट किया जाय।

विज्ञ सरकारी अविधवक्ता ने बताया कि प्रश्नगत जमीन को उभय पक्ष के द्वारा कय–विकय किया गया है। विपक्षी उक्त प्रश्नगत जमीन पर मकान, चहारदीवारी बनाकर सपरिवार रह रहे हैं। विपक्षी पूर्व से शांतिपूर्वक दखलकार है। आवेदक उक्त जमीन के बदले उचित मुआवजा लेने को तैयार है, तथा विपक्षी मुआवजा देने को तैयार है।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा ने अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 1043(।।)/रा0, दिनांक– 11.10.03 द्वारा सूचित किया है कि मौजा–गोतरा ठाकुरटोली खाता नं0–297 प्लॉट नं0–5010,रकबा–0.06 एकड़ भूमि पर विपक्षी का दखल है। प्रश्नगत् जमीन के खतियानी रैयत सुलेमान खड़िया वल्द–झारी खड़िया दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के पोता एवं परपोता है। पंजी–।। के रैयत सिरील लुसियुस कुल्लू वल्द–स्व0 माना खड़िया है। उक्त भूमि में विपक्षी का पत्थर एवं सीमेंट का चहारदीवारी है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एंव सरकारी अधिवक्ता के बहस तथा आवेदक के बयान को सुना। दोनों पक्षों द्वारा दाखिल जवाब का भी अवलोकन किया।दोनों पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों को देखा।

उभय पक्षों के बहस को सुनने, आवेदक और विपक्षी के बयानों के आधार पर, अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन तथा दोनों पक्षों के द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी अपना मकान, चहारदीवारी बनाकर सपरिवार रह रहे हैं और इसमें पक्ष–विपक्ष की सहमति रही है। अतः इस वाद के आवेदक स्व0 सिरील लुसियुस कुल्लू (पक्षकार लियोपोल्ड कुल्लू) विपक्षी श्री कृष्णचंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू के आपसी सहमति एवं न्यायालय में दिये बयान के आधार पर प्रश्नगत् भूमि का आवेदक को विपक्षी द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान तथा विपक्षी का उक्त भूमि पर दखल संपुष्ट करने का निर्णय लिया जाता है। विपक्षी श्री कृष्णचंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा– ठाकुरटोली के खाता नं0–257, प्लॉट नं0– 5010, रकबा–0.06 एकड़ का 20000.00(बीस हजार) रूपये प्रति डिसमिल की दर से कुल 120000.00(एक लाख बीस हजार) रूपये आदेश पारित होने के 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सरकारी अधिवक्ता के पहचान और दोनों पक्षों के अधिवक्ता की उपस्थिति में पक्षकार श्री लियोपोल्ड कुल्लू को भुगतान करें, तत्पश्चात् वाद की प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का हक दखल संपुष्ट किया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित

18/9/09
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

18/9/09
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

Sample output to test PDF Combine only

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
22/9/09	उभय पक्ष उपस्थित। सरकारी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। एल० ए० आर० वाद सं० - 31/2001 में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश के आलोक में विपक्षी कृष्णा चंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू पिता - गन्दुरा साहू, साकिन - ठाकुरटोली के खाता सं० - 257, प्लॉट नं० - 5010, रकबा - 0.06 एकड़ जमीन के बदले मुआवजा राशि 120000.00 (एक लाख बीस हजार) रु० आवेदक सिरील लुसियुस कुल्लू (पत्नकार लियोपोल्ड कुल्लू) पिता - स्व० सिरील लुसियुस कुल्लू, ग्राम - ठाकुरटोली, थाना - सिमडेगा, जिला - सिमडेगा को सरकारी अधिवक्ता श्री सुरेश प्रसाद के पहचान पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नकद भुगतान किया गया, जो अभिलेख में दर्ज है। अतः मौजा - ठाकुरटोली के खाता नं० - 257 के प्लॉट नं० - 5010, रकबा - 0.06 एकड़ जमीन को विपक्षी श्री कृष्णा चंद्र प्रसाद उर्फ लखन साहू पिता - गंदुर साहू साकिन - ठाकुरटोली, थाना - सिमडेगा, जिला - सिमडेगा के नाम से हक - दखल संपुष्ट किया जाता है। अंचलाधिकारी, सिमडेगा राजस्व पंजी में आवश्यक सुधार करें। लेखापित एवं संशोधित (ह०) 22/9/09 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा। (ह०) 22/9/09 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	मेरे समक्ष श्री कृष्णा चन्द्र प्रसाद उर्फ लखन साहू ने 0.06 एकड़ जमीन के बदले मुआवजा राशि एक लाख बीस हजार रु० 120000/- रुपये का भुगतान श्री लियोपोल्ड कुल्लू को अदायगी किया। Suresh Prasad मैं लियोपोल्ड कुल्लू [illegible] श्री [illegible] का मुआवजा राशि 120000/ एक लाख बीस हजार रु० कृष्णा चन्द्र प्रसाद के द्वारा न्यायालय में नगद प्राप्त किया। 22-9-09 (ह०) Leopold Kullu

प्रतिलिपि कर्त्ता　　तुलना कर्त्ता

Sample output to test PDF Combine only

न्यायालय श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा ।

एस.ए.आर. वाद संख्या 31/01

सिरिल लुसियुस कुल्लु — — — — आवेदक

बनाम

लखन साहु — — — — विपक्षी

प्रार्थी लियोपोल्ड कुल्लु पिता स्व० सिरिल लुसियुस कुल्लु निवास ग्राम- ठाकुर टोली, थाना एवं जिला-सिमडेगा झारखण्ड प्रार्थना करता है :-

(1) यह कि, वर्तमान मुकदमा ग्राम-ठाकुर टोली, थाना एवं जिला-सिमडेगा झारखण्ड के खाता नं०- 257, प्लॉट नं०- 5010, रकबा 0.06 एकड़ कुल रकबा 1.90 एकड़ के बाबत है ।

(2) यह कि, उपरोक्त खाता नं०- 257 गत रिविजनल सर्वे में सुलेमान खड़िया वल्द झरी खड़िया एक हिस्सा वो माना खड़िया वल्द जकलु खड़िया एक हिस्सा के नाम से नाम दर्ज है ।

(3) यह कि, खतियानी रैयतों की वंशावली निम्नलिखित है :-

स्व० झरी खड़िया — स्व० सुलेमान खड़िया — (लावल्द)

जकलु खड़िया — माना खड़िया — सिरिल लुसियुस कुल्लु — लियोपोल्ड कुल्लु

(4) यह कि, मैं सरकारी नौकरी में जसपुर नगर छत्तीसगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जसपुर नगर में कार्य करता हूँ ।

(5) यह कि, उपरोक्त जमीनों को मेरे पिता विपक्षी कृष्णा चन्द्र प्रसाद उर्फ लखन साहु को 1967 ई० में जबानी बेच दिये थे । उस समय पर विपक्षी दखलकार है ।

(6) यह कि, मैं स्व० पिता द्वारा किये गये कार-बार को नगर अन्दज नहीं करना चाहता हूँ ।

(7) यह कि, मुझे उपरोक्त जमीनों को वर्तमान दर से मुआवजा दिलवा दिया जाय एवं मुकदमें से बरी किया जाय ।

सही/- (Leopold Kullu)

प्रतिलिपि कर्ता   तुलना कर्ता

Sample output to test PDF Combine only

न्यायालय श्रीमान अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा ।

एस.ए.आर. वाद संख्या 31/01

COURT FEE 5 Rs. INDIA FIVE RUPEES

COURT FEE 2 Rs. INDIA TWO RUPEES

सिरिल लुसियुस कुल्लु - - - - आवेदक

बनाम

लखन साहु - - - - विपक्षी

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी ★ सिमडेगा ★

प्रार्थी लियोपोल्ड कुल्लु पिता स्व० सिरिल लुसियुस कुल्लु निवास ग्राम- ठाकुर टोली, थाना एवं जिला- सिमडेगा झारखण्ड प्रार्थना करता है :-

(1) यह कि, उपरोक्त मुकदमा मेरे पिता के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है ।

(2) यह कि, मेरे पिता की मृत्यु हो गयी है । जिसके चलते यह वाद विचाराधीन है ।

(3) यह कि, उपरोक्त वाद में प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उनका पुत्र प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में पार्टी बनाया xxxxx जाय ।

(4) यह कि, शेष बातें सुनवाई में पेश की जायेगी ।

P- 5 m
F- ...
AF 10 m
आग 15 m

सही/- Kullu

(Leopold Kullu)

प्रतिलिपि कर्ता
प्रतिलिपिक
तुलना कर्ता
तुलनाकिपिक

प्रधान सहायक

16/10/09

14/9/09